

\* ई-मेल  
स्पीड फोर्स्ट/निवंधित  
डाक

पत्रांक-२ब०/जला०-०१-०६/२०१९ - २८५ - /नविंशतिः०विंशतिः०

## बिहार सरकार

### नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

\*अनौपचारिक  
रूप से प्राप्तिः०

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

**\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक- २०/०३/२०२०

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2019-20 में जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पटना नगर निगम, पटना को कुल ₹373.82157 लाख (तीन करोड़ तिहात लाख बेरासी हजार एक सौ संतावन रु०) मात्र राशि की स्वीकृति।

**आदेशः-** स्वीकृत।

विगत वर्षों में जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप वर्षापात में कमी एवं भू-गर्भ जल का अत्यधिक दोहन करने के कारण भू-जल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दक्षिणी बिहार के साथ-साथ उत्तरी बिहार में भी भू-जल स्तर में गिरावट हो रही है। इस आपदा जनक स्थिति पर दिनांक- 13.07.2019 को बिहार विधान मंडल के सेंट्रल हॉल में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. उक्त के आलोक में राज्य में बढ़ती जनसंख्या, मानवीय गतिविधि एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न परिस्थितिकीय चुनौतियों से निपटने तथा राज्य में परिस्थितिकीय संतुलन का संधारण करने के व्यापक एवं बहुआयामी उद्देश्य से जल को प्रदूषण मुक्त रखने, इसके स्तर को संतुलित बनाये रखने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, हरित (वृक्ष/वन) आच्छादन को बढ़ावा देने, नवीकरणीय उर्जा के उपयोग एवं उर्जा की बचत पर बल देने तथा बदलते पारिस्थितिक परिवेश के अनुरूप कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को नये आयाम देने के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान का शुभारंभ किया गया है।

3. उक्त के आलोक में जल-जीवन-हरियाली अभियान से संबंधित विभिन्न घटकों में राज्य के नगर निकायों द्वारा विभिन्न कार्य कराया जाना है। तदालोक में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में नगर निगम, पटना को राज्य योजनान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ- 5 के अनुसार सहायक अनुदान के रूप में कुल राशि ₹373.82157 लाख (तीन करोड़ तिहात लाख बेरासी हजार एक सौ संतावन रु०) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि रूपये में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जिला का नाम	नगर निकाय का नाम	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	जल-जीवन-हरियाली अभियान	पटना	पटना नगर निगम	3,73,82,157.00

कुल स्वीकृत राशि ₹373.82157 लाख (तीन करोड़ तिहत्तर लाख बेरासी हजार एक सौ संतावन रु०) मात्र।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹373.82157 लाख (तीन करोड़ तिहत्तर लाख बेरासी हजार एक सौ संतावन रु०) मात्र का उपयोग पटना नगर निगम द्वारा जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत निम्नलिखित घटकों के लिए किया जाएगा :—

- (क) नगर निकायों के स्वामित्व के भवनों में Rain Water Harvesting निर्माण,
- (ख) अतिक्रमण मुक्त कुओं के पास सोख्ता निर्माण,
- (ग) खुले मैदानों में सोख्ता निर्माण,
- (घ) प्याऊ/स्टैंड पोस्ट/चापाकल के पास सोख्ता निर्माण,
- (ङ) अतिक्रमण मुक्त तालाबों/पोखरों का उड़ाहीकरण/जीर्णोद्धार,
- (च) अतिक्रमण मुक्त कुओं का उड़ाहीकरण/जीर्णोद्धार।

5. विदित हो कि उपर्युक्त कांडिका— 4 में वर्णित संरचनाओं के लिए मॉडल प्राक्कलन विभिन्न विभागीय पत्रांकों यथा— पत्रांक— 872, दिनांक— 05.07.2019, पत्रांक— 897, दिनांक— 11.07.2019, पत्रांक— 1298, दिनांक— 06.09.2019 एवं पत्रांक— 6381, दिनांक— 03.12.2019 द्वारा सभी नगर निकायों को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसकी प्रति विभागीय वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।

6. उक्त स्वीकृत राशि ₹373.82157 लाख (तीन करोड़ तिहत्तर लाख बेरासी हजार एक सौ संतावन रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019—20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०— 2561, दिनांक— 17.04.98, पत्रांक— 256, दिनांक— 26.02.2019, पत्रांक— 732, दिनांक— 31.07.2019, पत्रांक— 733, दिनांक— 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक), पत्रांक— 1081, दिनांक— 11.12.2019 (द्वितीय अनुपूरक), पत्रांक— 331, दिनांक— 05.03.2020 (तृतीय अनुपूरक) एवं पत्रांक— 1670, दिनांक— 03.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। प्रशाखा पदाधिकारी—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, पटना के PL खाता में CFMS के माध्यम से *Inter Departmental* विधि से *Online* हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

7. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक— 63, दिनांक— 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण—पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रामाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. वित्त विभाग के संकल्प सं०— 573, दिनांक— 16.01.1975 एवं एम 04—15/2009—9736, दिनांक— 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ङ) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि

का उपयोगिता प्रमाण—पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

9. उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹373.82157 लाख (तीन करोड़ तिहात लाख बेरासी हजार एक सौ संतावन रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित मांग संख्या— 48 बजट शीर्ष— 2217—शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष— 01—राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष— 191—नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष— 0109—नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें—सहायक अनुदान विपत्र कोड— 48-2217011910109, विषय शीर्ष 0109.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

10. उक्त राशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जा रही है:—

(i) जल—जीवन हरियाली—अभियान अन्तर्गत कंडिका— 04 में वर्णित घटकों में से चयनित योजनाओं का कार्यान्वयन सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए संबंधित नगर निकाय द्वारा कराया जाएगा।

(ii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण—लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iii) योजना का कार्यान्वयन ई०—टेंडरिंग के माध्यम से अथवा विभागीय संकल्प संख्या— 3557, दिनांक— 20.11.2014 के आलोक में निविदा अथवा विभागीय रूप से कराया जाएगा।

(iv) योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

11. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र विहित प्रपत्र में सरकार के उपलब्ध कराया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं०— 7355 वि(2), दिनांक— 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या— 2ब०/जला०-01-06/2019 के पृष्ठ सं०— ६३ /टि० पर दिनांक— १४/०३/२०२० को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०— ६५ /टि० पर दिनांक— १०/०१/२०२० को प्राप्त है।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*11/03/2020*

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/जला०-01-06/2019 - २६५ - /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-२०/०३/२०२०

प्रतिलिपि:- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/प्रबंध निदेशक, बुड़को, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—सह— निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/प्रशाखा पदाधिकारी— 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*11/03/2020*

सरकार के विशेष सचिव।

*मंत्री*